

फर्द अहकाम

न्यायालय

हनुमानसहाय बनाम रामलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष

: 95/2021 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० सह अन्य राज्य का केस है। अ पत्रावली पूर्वापार दिनांक 24/4/24 को पेश है।	नोटिफिकेशन 1299-1300 22/3/24
	24/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील कादी अपील वादी ने रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री व ड्रेक रिपोर्ट पेश की आ. क्रि. डी. प्रि. सं. 1 व 2 वाक्युड रजिस्ट्रार के अग्रपक्षिता प्रतिकारी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफ का कार्यवाही की जा रही वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली डी 23/5/24 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	23/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील कादी हेतु वकील कादी को केस के निष्पत्ति के लिए वादी का वाद स्वीकार किया जा रहा है। पत्रावली में जयपुर पत्रावली के सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफ का कार्यवाही की जा रही वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली डी 23/5/24 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 95/2021

निर्णय दिनांक : 23.05.2024

1. हनुमान सहाय चौधरी पुत्र स्व० घासीराम जाट जाति जाट निवासी भैरु जाट की ढाणी, मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम


1. रामलाल पुत्र स्व० भैरु जानि जाट  
2. शिमला देवी पत्नी स्व० बाबूलाल जाट जाति जाट समस्त निवासीगण भैरु जाट की ढाणी, मदरामपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.03 हैक्टर गैरमुमकिन चाह स्थित है जो राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम बतौर सह खातेदार दर्ज है. जिसे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है । प्रतिवादीगण जोर जबरन से वादग्रस्त भूमि पर गौबर, छडीया इत्यादि डालकर, तारबन्दी करके नाजायज कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी और वादी वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वचित हो जायेगा। प्रतिवादीगण ने दिनांक 09.07.2021 को वादग्रस्त भूमि पर जोर जबरन से गौबर, छडीया इत्यादि डालकर, तारबन्दी करके नाजायज कब्जा करके अवैध निर्माण कार्य करने की धमकी दी जिसके कारण वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर गौबर, छडीया नही डाले, अवैध निर्माण कार्य नही करे, आवागमन मे

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादा उत्पन्न नहीं करे, अकृषि कार्य नहीं करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करे। वादग्रस्त कृषि भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे :-

क. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे कि वे वाद पत्र के पैरा नं० एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण गौबर, छडीया नहीं डाले, अवैध निर्माण कार्य नहीं करे, आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे, अकृषि कार्य नहीं करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वावजूद रजिस्टर नोटिस उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में वहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने वहस वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे कि वे वाद पत्र के पैरा नं० एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण गौबर, छडीया नहीं डाले, अवैध निर्माण कार्य नहीं करे, आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे, अकृषि कार्य नहीं करे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं करे।


वहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाता है। वादी की निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसीदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो वादी की ओर से पेश सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वाके ग्राम मदरामपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वृक्ष भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 0.03 हैक्टर स्थित भूमि का सीमाज्ञान करे, दौराने सीमाज्ञान कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादी की उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात् वादी की भूमि



उपस्थान्त अधिवक्ता  
जयपुर जिला (सांगानेर)

की सीमाओं पर दखल नहीं दें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

जयपुर-जयपुर (सांगानेर)